(iii) Notification G.S.R. No. 266, dated the 29th February, 1964.

(iv) *Notification G.S.R. No. 331,* dated the 1st March, 1964.

[Placed in Library. *See* No. LT-2511|64 for (i) to (iv).].

THE CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE DUTIES EXPORT DRAWBACK (GENERAL) AMENDMENT RULES, 1964

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 255, dated the 22nd February, 1964, publishing the Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Amendment Rules. 1964, under section 159 of the Customs Act. 1962, and section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [Placed in Library. *See* No. LT-2512-64].

THE CENTRAL EXCISE (SECOND AMENDMENT) RULES, 1964

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, I also beg to lay on the Table a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 292, dated the 26th February, 1964, publishing the Central Excise (Second Amendment) Rules, 1964, under section 38 of the Central Excises and Salt Act, 1944. [Placed in Library *See* No. LT-2513|64].

THE DEFENCE OF INDIA (SECOND AMENDMENT) RULES, 1964

SHRI B. R. BHAGAT: Sir, on behalf of Shrimati Tarkeshwari Sinha, I beg to lay on the Table under section 41 of the Defence of India Act, 1962, a copy of the Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification G.S.R. No. 181, dated the 3rd February, 1964, publishing the Defence of India (Second Amendment) Rules, 1964. [Placed in Library *See* No. LT-2472/64].

THE BUDGET (GENERAL), 1964-65—*contd.*

MR. CHAIRMAN: We may continue with the discussion of the Budget (General), 1964-65. Sardar Budh Singh had not concluded his speech. He might now continue.

سردار بدھ سنگھ (جموں اینڈ کشمیر) : چیرمین صاحب - میں نے جو کل تقریر کی تھی وہ تقریر نہیں تھی بلکہ درد دل تھا اب تھوڑا سا وقت ملا ہے - چند منٹ ملے ہیں اور میں آپ کے سامنے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں - میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا اور صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے نیتا ہیں پریزیڈنٹ ہیں ان کی جو تقریریں اور پیغام ہیں ان کو میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں تاکہ کل جو میں نے درد دل بیان کیا تھا اس کی تائید ہو جائے -

۲۸ جنوری ۱۹۴۸ کا مہاتما گاندھی کا یہ لیکھ "ہریجن" میں نکلا اور ۳۰ جنوری ۱۹۴۸ ع کو وہ شہید ہوئے انہوں نے لکھا ہے -

"ہمارے جتنے منتری ہیں ان میں سے کوئی بھی کسان نہیں کسانوں کی مصیبتوں کو کیسے سمجھ سکتے اور دراصل اب راج کسانوں کا ہی ہونا چاہئے - - "

مہاتما گاندھی جی آگے لکھتے ہیں — "آج ایک سجن آئے تھے

[سردار بدھ سنگھ]

ان کا نام تو میں بھول گیا - انہوں نے کسان کی بات کی - میں نے کہا - میرا بس چلے تو ہمارا گورنر جنرل کسان ہوگا - ہمارا بڑا وزیر کسان ہوگا - سب کچھ کسان ہوگا کیونکہ یہاں کا راجہ کسان ہے - مجھے بچپن میں سکھایا تھا - ایک کویتا ہے — "ہے کسان تو بادشاہ ہے" کسان زمین سے پیدا نہ کرے تو ہم کیا کھائیں گے - ہندوستان کا سچ مچ راجہ تو وہی ہے لیکن آج ہم اسے غلام بنا کر بیٹھے ہیں - آج کسان کیا کرے - ایم - اے بنے، بی - اے بنے ایسا کیا تو کسان مٹ جائے گا - پیچھے وہ کدالی نہیں چلائے گا - جو آدمی اپنی زمین سے پیدا کرتا ہے اور کھاتا ہے سو گورنر جنرل بنے - پردھان بنے تو ہندوستان کی شکل بدل جائے گی - آج جو کل سڑا ہے وہ نہیں رہے گا -"

اس کے بعد شری جواہر لال نہرو کا یہ پیغام دیکھئے جس میں انہوں نے صاف طور پر کہہ دیا ہے یہ الفاظ انہوں نے ٹریڈ اور کامرس فیڈریشن کے سامنے کہے اور بڑے دردناک طریقہ سے کہئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ — "آو - ہم مفاد خصوصی کو ختم کرنے کے لئے ایک ایسا ڈھنگ نکالیں جو کسی کے لئے تکلیف دہ نہ ہو اور اس میں ویسٹیڈ انٹرسٹ نہیں رہے گا - مفاد خصوصی ختم ہونا ہے - یہ محض میری رائے نہیں بلکہ دنیا کے موجودہ حالات کا تقاضہ ہے - میں ایسے مستقبل کا تصور بھی نہیں کر سکتا - جس میں ہمارے کروڑوں کاشت کار نیم فاقہ کشی کی حالت میں ہوں - میں کروڑوں لوگوں کی فاقہ کشی اور غربت پر کروڑوں انقلابوں کو ترجیح دوں گا" - انہوں نے کہا کہ سرمایہ داری اور مفاد خصوصی ختم کی جائے گی کیونکہ اس میں کسانوں کی بھلائی ہے - دولت مند لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں - کوئی کہتا ہے کہ خونی خرابی ہوگی کوئی کہتا ہے کہ بلڈ شیڈ ہوگا - جواہر لال جی کہتے ہیں کہ "کروڑوں انقلاب ہوں - میں نہیں ڈرتا - میں ۹۰ فی صدی کسانوں کی بد تر حالت کو برداشت نہیں کر سکتا - آپ سب لوگ اچھی طرح سے اس پرابلم مسئلہ کو جانتے ہیں میں متعلق لیبر و کسان طبقہ کا حامی ہوں اور میں نے شروع ہی سے سنہ ۱۹۳۵ میں اسمبلی میں کسان پارٹی بنائی تھی میں ایک سوشلسٹ ہوں اور کانگریس کا دوست ہوں - میں اپوزیشن والا نہیں ہوں اور دوست کا فرض ہوتا ہے کہ اس کے دل میں جو بات ہو وہ ساری باتیں کھول کر کہہ دے - چیئرمین پنڈت جی نے کہا کہ اگر زندگی کے تمام شعبوں سے

بھرشٹا چار ختم نہ ہوا تو سوشلزم کی تمام باتیں بے معنی ہو جائیں گی - سوشلزم کے بارے میں کانگریس کی جو سدھانتیں ہیں ان سب پر عمل ہونا چاہئیے -" یہ الفاظ پنڈت جی کے ہیں -

میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج کے "ملاپ" اخبار میں پڑھا ہوگا اور اس میں ہمارے شری گلزاری لعل نندا کے بیان کی بابت اس طرح سے لکھا ہے - وہ کہتے ہیں کہ — "اس مشترکہ نصب العین کی طرف بڑھنا چاہئیے جو ملک کے سامنے ہے" اور یہ نصب العین کیا ہے ؟ نندہ جی نے مختصر شبدوں میں بتایا - " یہ کہ ملک میں ہر آدمی کو مناسب خوراک مناسب لباس اور مناسب رہائش میسر ہو اور جلدی سے جلدی میسر ہو - زیادہ سے زیادہ پانچویں پلان کے آخری برس تک - "

میں نے پہ ہی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ کیا پٹرول کے بغیر یہ گاڑی چلنے والی بات تو نہیں ہے ؟ ہمارے دیش میں کروڑوں غریب آدمی ہیں مزدور آدمی ہیں کیا وہ ۷ سال تک بغیر مناسب روٹی کپڑے کے رہ سکتے ہیں - ان کی غربت کیا ۷ سال کے بعد دور ہو گی - کیا ۷ سال مزدور اور غریب کسان کی نیم فاقہ بھو بھکھیاں ایک پھٹی ساڑھی ہی پہنے رہیں گی - آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس غریب کسان مزدور کے پاس رہنے کے لئے جھونپڑ ہیں نہ نہانے کے لئے غسل خانہ نہ پینے کے لئے صاف پانی ہے نہ رہنے کے لئے اچھا مکان ہے اور نہ ہی کھانے کو ہی اس کو اچھی چیزیں مل سکتی ہیں - وہ لوگ گندگی اور بدبو کی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر نہ بتی کا کوئی انتظام ہے اور نہ پینے کے پانی کا ہی کوئی انتظام کیا گیا ہے - میں یہاں پر کئی مرتبہ اس بات کو کہہ چکا ہوں مگر ابھی تک ان کے بارے میں کچھ نہیں ہو سکا - ہمارے ملک میں باہر سے ویسٹرن بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور ہماری سرکار مہمان نوازی کرتی ہے - جن ہمارے مزدوروں نے بڑے بڑے ہوٹلوں کو بنایا ہے جہاں پر کہ ان لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے آرام ملتا ہے مگر ان مزدور لوگوں کو نہ مناسب کھانا ہی ملتا ہے اور نہ رہنے کے لئے مکان ہی ملتے ہیں - یہ لوگ نہایت تکلیف اور مصیبت میں باہر پڑے رہتے ہیں -

میں آپ کو ۲۶ جنوری سنہ ۱۹۶۴ کو جو بھاشن راشٹر پتی نے دیا سنانا چاہتا ہوں - انہوں نے اپنے بھاشن میں یہ کہا ہے -

[سردار بدھ سنگھ]

"ہمیں جمہوریت پر عوام کے یقین کو بنائے رکھنا ہے تو پبلک زندگی سے کرپشن کو بالکل ختم کرنا ہوگا - ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی ہوگی کہ کم زور و ناقابل اور کرپٹ ایڈمنسٹریشن کو عوام بہت دیر تک برداشت نہیں کرتے - اگر چور بازاریاں اور کرپشن اور خویش پروری جیسی برائیوں کو دور نہ کیا گیا تو اس بات کا خطرہ ہے کہ سماج سیوا کے لئے آگے آنے کے خواہش مند نو جوان کوئی اور راستہ تلاش کر سکتے ہیں - ہماری جمہوریت کی مضبوطی اس بات پر بھی منحصر ہے کہ ہمارے اقتصادی ڈھانچہ میں سدھار ہو اور ملک کی آمدنی اور ترقی کے ذریعہ سبھی لوگوں میں یکساں طور پر منقسم ہوں -"

ملک کے اقتصادی حالت کے متعلق حال ہی میں جو سروے کیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ پلان کے نتائج حوصلہ افزا نہیں ہیں -

اصلیت یہ ہے کہ جب تک ملک کی زرعی پیداوار میں اضافہ نہ ہوگا اقتصادی ترقی نہیں ہو سکتی - ہمیں اپنے ملک میں بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی غریبی کو دور کرنا ہے - آمدنی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی تقسیم اس طرح نہ ہو کہ عوام میں تفاوت بڑھتا جائے -

پنڈت جواہر لال نہرو نے گاندھی جینتی کے ایک موقعہ پر کہا تھا -

"باوقار زندگی بسر کرنے کے لئے اور عزت کے ساتھ اپنے دیش کو خوش حال بنائیں - دیش کی پیداوار بڑھائیں ادھیوگ دھندوں میں ترقی کریں -" پھر انہوں نے کہا—

"ابھی تک ہمارے دیش میں بہت لوگ ہیں جو غریب ہیں اور یہ بات مجھے ہر وقت دکھی اور پریشان رکھتی ہے -" اب سوشلزم کے متعلق کانگریس پریزیڈنٹ شری کام راج نادار یہ لکھتے ہیں—"سوشلزم کا فلسفہ دنیا کے سارے سماجی نظام میں کار فرما ہے - صرف سوشلزم کی منزل پر پہنچنے کے طریقوں میں فرق ہے - ہندوستان اگر غریبی اور نابرابری کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اسے بھی اس راستہ پر چلنا ہوگا لیکن وہ اپنے عوام کی ذہنیت کے مطابق سوشلزم لانے کے طریقے اختیار کرے گا -" سنہ ۱۹۳۰ع میں میں نے "کسان کی داستان" ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جس پر مجھے قلعہ لاہور میں بند کر دیا گیا - میں نے اس وقت کسان کو اس کی حقیقت سے آشنا کرنے کے لئے شاعر کے یہ شعر لکھے تھے -

آشنا اپنی حقیقت سے

ہو اے دہقاں ذرا تو

دانہ تو ، کھیتی بھی تو ،

باراں بھی تو ، حاصل بھی تو

کانپتا ہے دل ترا

اندیشہ طوفاں سے کیوں

بحر تو ، کشتی بھی تو ،

ناخدا بھی تو ، ساحل بھی تو

وائے نادانی کہ تو

محتاج ساقی ہو گیا

مے بھی تو ، مینا بھی تو

ساغر بھی تو ، ساقی بھی تو

تو میں نے ثابت کر دیا کہ کسان کی کیا حقیقت ہے جو چھ مہینے کسانی کا کام کرتا ہے اور چھ مہینے مزدوری کا کام کرتا ہے - جس نے ہمارے لئے کھانے کی اناج کی منڈیاں بھر دی ہیں میوے کی منڈیاں بھری پڑی ہیں جو ہمارے لئے سبزیاں اور ترکاریاں پیدا کرتا ہے مگر کھیتی کرتا ہے اس کے لئے رہنے کے لئے بھی اچھی جگہ نہیں ہے اور نہ کھانے کے لئے اسے اچھی پوری چیز مل سکتی ہے - آج ہم کو دلی میں نظر آ رہا ہے کہ جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہیں یا روز ان میں جو کھانا یا سبزی ترکاری تیار ہوتی ہے وہ سب ہمارے کسان اور مزدور کی محنت سے پیدا کی جاتی ہیں - نئے کشمیر کے منصوبہ میں نیشنل کانفرنس نے کسانوں کے حقوق کی تفصیل بتانے کے بعد یہ لکھا تھا کہ اس حقوق نامہ کے تحت ریاست جموں کشمیر کے غریب لوگ لئے ہوئے کسان اپنی حقیقی درجہ کو حاصل کر سکے گا - اور اس جنت نظیر خوبصورت وطن کا خوش حال و خوش باش باشندہ بن سکے گا نہ معلوم کب یہ وعدہ پورا ہوگا اس واسطے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو غریب اور مزدور کسانوں کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہئے کیوں نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوپاری جب چاہتا ہے دام بڑھا دیتا ہے جس سے غریب کسان کو بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے - آپ جانتے ہیں کہ دیہاتی غریب لوگ ہی زیادہ تر بھارت میں رہتے ہیں ان کو ہتھیار دے کر تیار کر سکتے ہیں لیکن جب تک ہم ان کو خوش حال بنانے راحت دینے کے لئے کوئی کام ٹھوس نہیں کریں گے تب تک ہمارا کوئی کام پورا نہیں ہو سکتا - اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ سرکار غریب مزدور کسان اور محنت کش لوگوں کی تکلیف کا احساس کرے اور غور کرے گی اور جتنا ان کو طاقتور و خوش کرنے کے لئے جتنے کام ہو سکتے ہیں وہ کریگی - میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کے لئے اتنا موقعہ دیا -

†[सरदार बुध सिंह (जम्मू और काश्मीर) : चेयरमैन साहब, मैंने जो कल तकरीर की थी वह तकरीर नहीं थी बल्कि

†[ ] Hindi transliteration.

[सरदार बुध सिंह नेगी]

दर्दे दिल था । अब थोड़ा सा वक्त मिला है । चन्द मिनट मिले हैं और मैं आप के सामने कुछ और कहना चाहता हूं । मैं आप का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता और सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो हमारे नेता हैं, प्रेसीडेंट हैं उन की जो तकरीरें और पैगाम हैं उन को मैं आप के सामने सुनाना चाहता हूं ताकि कल जो मैंने दर्देदिल बयान किया था उस की ताईद हो जाये ।

२८ जनवरी, १९४८ का महात्मा गांधी का यह लेख 'हरिजन' में निकला और ३० जनवरी, १९४८ को वह शहीद हुए । उन्होंने लिखा है—

"हमारे जितने मंत्री हैं उन में से कोई भी किसान नहीं । किसान की मुसीबतों को कैसे समझ सकते और दरअसल अब राज किसानों का ही होना चाहिये ... " । महात्मा गांधी जी आगे लिखते हैं : "आज एक सज्जन आए थे उन का नाम तो मैं भूल गया । उन्होंने किसान की बात की । मैंने कहा, मेरा बस चले तो हमारा गवर्नर-जनरल किसान होगा । हमारा बड़ा वजीर किसान होगा । सब कुछ किसान होगा । क्योंकि यहां का राजा किसान है । मुझे बचपन में सिखाया था । एक कविता है— "हे किसान ! तू बादशाह है" । किसान जमीन से पैदा न करे तो हम क्या खायेंगे । हिन्दुस्तान का सचमुच राजा तो वही है लेकिन आज हम उसे गुलाम बना कर बैठे हैं । आज किसान क्या करे ? एम० ए० बने, बी०ए० बने ? ऐसा किया तो किसान मिट जायगा । पीछे वह कुदाली नहीं चलायगा । जो आदमी अपनी जमीन से पैदा करता है और खाता है सो गवर्नर-जनरल बने, प्रधान बने तो हिन्दुस्तान की शक्ल बदल जायेगी । आज जो गधा सडा है वह नहीं रहेगा ।"

इसके बाद श्री जवाहरलाल नेहरू का यह पैगाम देखिए जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है । यह अल्फ़ाज़ उन्होंने ट्रेड और कोमर्स फेडरेशन के सामने कहे और बड़े दर्दनाक तरीके से कहे हैं । उन्होंने कहा है कि—"आओ हम मुफाद खसूसी को खत्म करने के लिए एक ऐसा ढंग निकालें जो किसी के लिए तकलीफदेह न हो और उसमें वैस्टेड इंट्रेस्ट नहीं रहेगा । मुफाद खसूसी खत्म होना है । यह महज मेरी राय नहीं बल्कि दुनिया के मौजूदा हालात का तकाजा है । मैं ऐसे मुस्तकबिल का तसव्वुर भी नहीं कर सकता । जिसमें हमारे करोड़ों काश्तकार नीम फाका-कशी की हालत में हों । मैं करोड़ों लोगों की फ़ाकाकशी और गुरबत पर करोड़ों इन्कलाबों को तरजीह दूंगा" । उन्होंने कहा कि सरमायादारी और मुफाद खसूसी खत्म की जायेगी क्योंकि उसमें किसानों की भलाई है । दौलततमन्द लोग इस चीज से डरते हैं । कोई कहता है कि खून-खराबी होगी ; कोई कहता है कि ब्लड शेड होगा । जवाहरलाल जी कहते हैं कि "करोड़ों इन्कलाब हों मैं नहीं डरता । मैं ६० फी सदी किसानों की बदतर हालत को बरदाश्त नहीं कर सकता । आप सब लोग अच्छी तरह से इस प्राब्लेम, मसले को जानते हैं । मैं मेहनतकश व किसान तबके का हामी हूं और मैंने शुरू से ही सन् १९३५ ई० में असेम्बली में किसान पार्टी बनाई थी । मैं एक सोशलिस्ट हूं और कांग्रेस का दोस्त हूं । मैं अपोजीशन वाला नहीं हूं और दोस्त का फर्ज होता है कि उसके दिल में जो बात हो वह सारी बातें खोलकर कह दे । जयपुर में पंडित जी ने कहा कि अगर जिन्दगी के तमाम शोबों से भ्रष्टाचार खत्म न हुआ तो सोशलिज्म की तमाम बातें बेमानी हो जायेंगी । सोशलिज्म के बारे में कांग्रेस की जो सिफारिशें हैं उन सब पर अमल होना चाहिये ।" यह अल्फाज पंडित जी के हैं ।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप लोगों ने आज के 'मिलाप' अखबार में पढ़ा होगा और उसमें हमारे श्री गुलजारीलाल नन्दा

जी के बयान की बाबत इस तरह से लिखा है। वह कहते हैं कि—"इस मुशतर्का नस्ब-उल-ऐन की तरफ बढ़ना चाहिए जो मुल्क के सामने है" और यह नस्ब-उल-ऐन क्या है ? नन्दा जी ने मुख्तसिर शब्दों में बताया—यह कि मुल्क में हर आदमी को मुनासिब खुराक, मुनासिब लिबास और मुनासिब रिहाइश मुयस्सर हो और जल्दी से जल्दी मुयस्सर हो। ज्यादा से ज्यादा पांचवें प्लान के आखिरी वर्ष तक।"

मैंने पहले भी अपनी तकरीर में यह कहा था कि क्या पैट्रोल के बगैर यह गाड़ी चलने वाली बात तो नही है ? हमारे देश मे करोडों गरीब आदमी है, मजदूर आदमी हैं क्या वह सात साल तक बगैर मुनासिब रोटी कपडे के रह सकते है। उनकी गुरबत क्या सात साल के बाद दूर होगी । क्या सात साल मजदूर और किसान की नीम फाका बहू-बेटिया एक फटी साड़ी ही पहने रहेंगी। आज हम देखते हैं कि इस गरीब किसान मजदूर के पास रहने के लिए छप्पर हैं न नहाने के लिए गुसलखाना, न पीने के लिए साफ पानी है न रहने के लिए अच्छा मकान है और न ही खाने को ही उसको अच्छी चीज मिल सकती हैं। वह लोग गन्दगी और बदबू की जगह पर रहते हैं जहां पर न टट्टी का कोई इन्तिजाम है और न पीने के पानी का ही कोई इन्तजाम किया गया है। मैं यहां पर कई मर्तबा इस बात को कह चुका हूं मगर अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं हो सका। हमारे मुल्क में बाहर से विजिटर बड़े बड़े लोग आते हैं और हमारी सरकार मेहमान-नवाजी करती है। जिन हमारे मजदूरों ने बड़े बड़े होटलों को बनाया है जहां पर कि उन लोगों को खाना खिलाया जाता है, आराम मिलता है, मगर इन मजदूर लोगों को न मुनासिब खाना ही मिलता है और न रहने के लिए मकान ही मिलते हैं। ये लोग निहायत तकलीफ और मुसीबत में बाहर पड़े रहते हैं।

मैं आपको २६ जनवरी, १९६४ को जो भाषण राष्ट्रपति ने दिया, सुनाना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में यह कहा —

"हमे जम्हूरियत पर अवाम के यकीन को बनाए रखना है तो पब्लिक जिन्दगी से करप्शन को बिलकुल खत्म करना होगा। हमें यह बात ध्यान मे रखनी होगी कि कमजोर, नाकाबिल और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अवाम बहुत देर तक बरदाश्त नही करते। मगर चोर-बाजारियां और करप्शन और ख्वेशपरवरी जैसी बुराइयां को दूर न किया गया तो इस बात का खतरा है कि समाज सेवा के लिए आगे आने के ख्वाहिशमन्द नौजवान कोई और रास्ता तलाश कर सकते हैं। हमारी जम्हूरियत की मजबूती इस बात पर भी मुनहिसर है कि हमारे इक्तसादी ढांचे मे सुधार हो और मुल्क की आमदनी और तरक्की के जरिए सभी लोगों में यकसां तौर पर मुनकसिम हों।"

मुल्क के इक्तसादी हालत के मुत्तलिक हाल में जो सर्वे किया गया है उससे यह पता चलता है कि मौजूदा प्लान के नतायज हौसला-अफजा नही है।

असलियत यह है कि जब तक मुल्क की जराई पैदावार मे इजाफा न होगा, इक्तसादी तरक्की नही हो सकती। हमे अपने मुल्क में बड़े पैमाने पर फैली हुई गरीबी को दूर करना है आमदनी मे इजाफा के साथ साथ यह भी देखना होगा कि इसकी तकसीम इस तरह न हो कि अवाम मे तफावत बढता जाए।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जयन्ती के एक मौके पर कहा था,—"बवकार जिन्दगी बसर करने के लिए और इज्जत के साथ अपने देश को खुशहाल बनाएं। देश की पैदावार बढाएं—उद्योग धन्धों में तरक्की करें। फिर उन्होंने कहा, अभी तक हमारे देश में बहुत लोग हैं जो गरीब हैं और यह बात मुझे हर वक्त दुःखी और परेशान रखती है।"

अब सोशलिज्म के मुत्तलिक कांग्रेस प्रैसीडेंट श्री कामराज नाडार यह लिखते हैं—"सोशलिज्म का फलसफा दुनियां के सारे समाजी निजाम में कार फर्मा है। सिर्फ सोशलिज्म की मंजिल पर पहुंचने के तरीकों में फर्क है। हिन्दुस्तान अगर गरीबी और नाबराबरी को खत्म करना चाहता है तो उसे भी इस रास्ते पर चलना होगा। लेकिन वह अपने अवाम की जहनियत के मुताबिक सोशलिज्म लाने के तरीके अख्तियार करेगा।"

१९३० ई० में मैंने "किसान की दास्तां" एक छोटी सी किताब लिखी जिस पर मुझे किला बाहू में बन्द कर दिया गया। मैंने उस वक्त किसान को उसकी हकीकत से आशना करने के लिए शायर के यह शेर लिखे थे :—

आशना अपनी हकीकत से
हो ए दहकान कि तू,
दानां तू, खेती भी तू,
बारां भी तू, हासिल भी तू।
कांपता है दिल तेरा
अन्देशाए तूफां से क्यों,
बहर भी तू, कश्ती भी तू,
नाखुदा भी तू, साहिल भी तू,
वाए नादानी कि तू
मुहताजे साकी हो गया
मैं भी तू, मीना भी तू,
सागर भी तू साकी भी तू,

तो मैंने साबित कर दिया कि किसान की क्या हकीकत है—जो ६ महीने किसानी का काम करता है और ६ महीने मजदूरी का काम करता है। जिसने हमारे लिए खाने की अनाज की मंडियां भर दी हैं, मेवे की मंडिया भरी पड़ी हैं जो हमारे लिए सब्जियां और तरकारी पैदा करता है, मगर खेती करता है, उसके रहने के लिए भी अच्छी जगह नहीं है और न खाने के लिए उसे अच्छी पूरी चीज मिल सकती हैं। आज हमको दिल्ली में नजर आ रहा है कि जितने बड़े-बड़े होटल हैं, रोज बारांज उनमें जो खाना या सब्जी, तरकारी तैयार होती हैं वह सब हमारे किसान और मजदूर की मेहनत से पैदा की जाती हैं। नए काश्मीर के मनसूबे में नेशनल कान्फ्रेंस ने किसानों के हुकूक की तफसील बताने के बाद यह लिखा था कि इस हुकूकनामे के तहत रियासतें जम्मू काश्मीर के गरीब लोग लुटे हुए किसान अपने हकीकी दर्जे को हासिल कर सकेगा और इस जन्नते नज़ीर खूबसूरत वतन का खुशहाल और खुशबाश बाशिन्दा बन सकेगा। नां मालूम कब वादा पूरा होगा इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि आपको गरीब और मजदूर किसानों के लिए कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए क्यों कि हम देखते है कि व्यापारी जब चाहता है दाम बढ़ा देता है जिससे गरीब किसान को बहुत तकलीफ का सामना करना होता है। आप जानते है कि देहाती गरीब लोग ही ज्यादातर बोर्डर में रहते हैं उनको हथियार देकर तैयार कर सकते हैं लेकिन जब तक हम उनको खुशहाल बनाने, राहत देने के लिए कोई काम ठोस नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूं कि सरकार गरीब मजदूर, किसान और मेहनतकश लोगों की तकलीफ का एहसास करे और गौर करेगी और जितना उनको ताकतवर व खुश करने के लिए जितने काम हो सकते हैं वह करेगी।

मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए इतना मौका दिया।

श्री ए० बी० बाजपेयी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, इससे पहले कि मैं बजट के सम्बन्ध में कुछ कहूं, मैं इस बात पर अपना असंतोष प्रगट करना चाहता हूं कि प्रति वर्ष बजट पर बहस इस सदन में पहले हुआ करती थी और बाद में बजट दूसरे सदन में विचार के लिये जाता था।

[THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair]

दलों के नेताओं ने यह निश्चय किया है कि इसी पद्धति का अवलम्बन किया जाए, लेकिन मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस वर्ष यह तरीका क्यों बदला गया। संविधान इस सम्बन्ध में बिलकुल स्पष्ट है। संविधान की धाराएं इस सदन को बजट पर बहस करने से नहीं रोकतीं और न संविधान वित्त मंत्री को इस बात से रोकता है कि यदि वे चाहें तो अपने कर प्रस्तावों में कटौती की घोषणा इस सदन में करें। किन्तु यदि वे कर प्रस्तावों में संशोधन यहां पर घोषित नहीं करना चाहते तो भी इस सदन को बहस में पहले भाग लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। स्थिति यह है कि बजट पर दूसरे सदन में विचार हो चुका है और वित्त मंत्री, जो आलोचना की गई थी, उसके सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया भी प्रगट कर चुके हैं। अब अगर उनका दिमाग खुला हुआ नहीं है और इस सदन में जो कुछ कहा जाता है उसकी रोशनी में वे अपने बजट को बदलने या उसमें संशोधन करने के लिये तैयार नहीं हैं तो सारा वादविवाद एक अर्थ में बेमानी हो जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बजट पर जो बहस हुई है उसके दौरान में अनेक सदस्यों ने महलानोबिस कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया है। मुझे यह देख कर आश्चर्य हुआ है कि संसद् के सदस्यों ने उस कमेटी की रिपोर्ट के बड़े बड़े उद्धरण सदन में पढ़ कर सुनाये। ये उद्धरण एक दैनिक पत्र से लिये गये हैं। किन्तु जब सदन में कहा जाता है कि महलानोबिस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखी जाए तो उत्तर दिया जाता है कि रिपोर्ट अभी तक पूरी आई नहीं है सरकार के पास, इस लिये वह पटल पर नहीं रखी जा सकती। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर रिपोर्ट सरकार के पास नहीं आई तो रिपोर्ट समाचारपत्रों में कैसे प्रकाशित हुई? क्या महलानोबिस कमेटी के कुछ सदस्य उस रिपोर्ट के आंशिक प्रकाशन के लिये जिम्मेदार हैं? क्या उस कमेटी के सदस्य कुछ समाचार-पत्रों से सम्पर्क रखते हैं और जो बातें संसद् को नहीं बताई जा सकतीं, जिस रिपोर्ट का ज्ञान संसद् सदस्यों को नहीं है उसका ज्ञान कुछ विशेष समाचारपत्रों को कैसे हो गया, यह बड़ी गंभीरता की बात है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सरकार महलानोबिस कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज़ पर रखने में देर न करे और यदि सरकार की तरफ से बिना रिपोर्ट बताये हुये रिपोर्ट समाचार-पत्रों में छप रही है तो इसकी छानबीन होनी चाहिये कि रिपोर्ट किस तरह से समाचार-पत्रों के पास पहुंची। जो रिपोर्ट में तथ्य आये हैं वे बड़े भयंकर हैं और उन तथ्यों के सम्बन्ध . . .

Madam, no Minister of the Ministry of Finance is present in the House. What is the use of talking? He is only the Minister for Irrigation and Power. He is not going to reply to this Debate.

SHRI C. D. PANDE (Uttar Pradesh): The Government is represented by Dr. K. L. Rao.

SHRI A. B. VAJPAYEE: There are three Ministers in the Ministry of Finance and one of them should be present here.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I thought Mr. Bhagat was here. Was not he here?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): Government is indivisible.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I know that.

SHRI C. D. PANDE: The Government is represented; there is joint responsibility.

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think one of the Ministers from the Ministry of Finance should be here also.

श्री ए० बी० बाजपेयी : महोदया, वित्त मंत्री ने जो बजट रखा है वह उनके व्यक्तित्व की तरह से ही बड़ा पेचीदा है।

SHRI C. D. PANDE: He is here; he has come.

THE MINISTER OF PLANNING (SHRI B. R. BHAGAT): I am sorry, Madam. I had to make an urgent phone call. I was there in the Lobby. I just went out for a minute.

श्री ए० बी० बाजपेयी : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह वित्त मंत्री के व्यक्तित्व की तरह से ही बड़ा पेचीदा है। वित्त मंत्री ने इस बात का प्रयत्न किया है कि विकास की गति को बढ़ाने का और विषमता को मिटाने का जो कुछ अंशों में परस्पर विरोधी कार्य दिखाई देता है उसे पूरा करने की कोशिश की जाए। किन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली है। मेरे लिये बजट आमदनी और खर्चे का एक ब्यौरा मात्र नही है। हमने जो आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किये हैं, बजट उनकी प्राप्ति का एक समर्थ साधन होना चाहिये। हमारे लक्ष्य हैं कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, समानतर वितरण और विषमता में कमी। इस कसौटी पर जब हम बजट को कसते हैं तो ऐसा लगता है कि बजट हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा।

ग़नीमत है कि वित्त मंत्री ने आम आदमी पर कोई नये टैक्स नहीं लगाये हैं, लेकिन इसके लिये उन्हे बधाई नहीं दी जा सकती। तीसरी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में करों से जितनी आमदनी का लक्ष्य रखा गया था वह पूरा हो चुका है। पांच वर्षों में ११०० करोड़ रुपये करों से प्राप्त होने वाले थे, किन्तु योजना के तीन वर्षों में ही १६०० करोड़ रुपये करों से प्राप्त हो चुके हैं। स्पष्ट है कि करों से होने वाली आमदनी ८०० करोड़ रुपये ज्यादा हो चुकी है जब कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अभी दो वर्ष बाकी हैं। ऐसी स्थिति में नये टैक्स लगाने का कोई औचित्य नही था, लेकिन वित्त मंत्री को बधाई दी जाती अगर वे आम आदमी पर बढ़े हुये बोझे को कम करने का प्रयत्न करते। कल उन्होंने लोक सभा में वादविवाद का उत्तर देते हुये एक्साइज ड्यूटी कम न करने के सम्बन्ध में जो तर्क दिया है वह गले के नीचे उतरने वाला नहीं है। उनका कहना है कि अगर मिट्टी के तेल में या मोटे कपड़े में या दियासलाई की डिबिया में एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई तो उसका लाभ उपभोक्ता को नहीं मिलेगा, आम आदमी को प्राप्त नहीं होगा और जो बीच वाले हैं वे उस लाभ को खा जायेंगे। यदि यह तर्क मान लिया जाए तो फिर मूल्यों को रोकने के सम्बन्ध में जिन कदमों को उठाने पर जोर दिया जा रहा है उन कदमों की सफलता की कोई सम्भावना नहीं दिखाई देती। गत वर्ष जब मिट्टी के तेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी तब उससे होने वाली आमदनी का अनुमान कम लगाया गया था। आमदनी अधिक हुई है। आम आदमी को राहत दी जा सकती है लेकिन वित्त मंत्री इसके लिये तैयार नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों का अगर हम प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों का हिसाब उठा कर देखें तो हमें पता लगेगा कि प्रत्यक्ष कर घटते जा रहे हैं और अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि हो रही है। अप्रत्यक्ष करों का भार आम आदमी पर पड़ता है। यदि कोई ठोस सुविधा नही भी दी जा सकती थी तो भी देश में एक मनोवैज्ञानिक वातावरण बन सकता था कि बजट में आम आदमी को भी कोई राहत दी गई।

महोदया, जिस गति से एक्साइज ड्यूटीज हमारे देश में बढ़ी हैं उसका कुछ हिसाब रखना जरूरी है। १६५०-५१ में एक्साइज ड्यूटीज से ६७.५४ करोड़ रुपये की आमदनी

थी जो १९५५-५६ में बढ़ कर १४५.२५ करोड़ हो गई। १९६१-६२ में यह राशि ४९० करोड़ रुपये बढ़ गई और १९६४-६५ के बजट के अनुसार ६०३ करोड़ रुपये सरकार को एक्साइज़ ड्यूटीज़ से प्राप्त होगा। जब हम बढ़ी हुई कीमतों पर विचार करते हैं और आज देश में इस बात की बड़ी चर्चा है कि सरकार कीमतों को कम करने में असफल रही है तो हमें इस बात को भी देखना होगा कि सरकार के ऐसे कौन से टैक्स हैं, कर हैं, जो वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाते हैं—इसमें एक्साइज़ ड्यूटीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा है। यदि बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं पर ही एक्साइज़ ड्यूटी कम कर दें और राज्यों से कहा जाय कि वे बुनियादी आवश्यकता की वस्तुओं पर बिक्री कर तथा अन्य कर न लगायें तो मूल्यों को स्थिर रखने में या थोड़ी बहुत मात्रा में घटाने में भी सहायता मिल सकती है।

मुझे आश्चर्य है वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह तो कहा है कि मूल्य वृद्धि से उन्हें चिन्ता हो रही है किन्तु मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये कौन से कदम उठाये जायेंगे इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री शायद अपने दिमाग में भी स्पष्ट नहीं है। मैं उनके इस कथन से सहमत नहीं हूं कि थोक मूल्यों में प्रायः १८ फीसदी की वृद्धि हुई है। आम आदमियों का जीवन फुटकर मूल्यों के अनुसार चलता है, थोक मूल्यों के हिसाब से नहीं और यदि हम फुटकर मूल्यों का हिसाब लगायें तो बढोतरी २५ फीसदी के करीब आती है। मुझे आश्चर्य है उन्होंने अपने भाषण में एक वाक्य ऐसा कहा है कि जो कहीं भी और कभी भी उपयोग में लाया जा सकता है किन्तु जिसका कोई अर्थ नहीं है। मूल्यों को रोकने के लिये सरकार क्या करेगी इसका उत्तर देते हुये उन्होंने कहा है :

"The problem is being examined at the highest level and with the greatest care."

18 RS—4

SHRI B. R. BHAGAT: . . . and urgency.

श्री ए० बी० बाजपेयी : जो भी लेवेल है वह तो हाइएस्ट है ही और सरकार जिस बात पर भी चिन्ता करेगी तो "ग्रेटेस्ट केयर" से करेगी यह भी हम मानने के लिये तैयार हैं मगर ऊंचे स्तर पर विचार करने के बाद और बड़ी चिन्ता से समस्या पर गौर करने के बाद परिणाम क्या निकला है? मूल्य वृद्धि कैसे रुकेगी? हमारी सारी योजनायें मूल्य-वृद्धि की चट्टान से टकरा कर चूर चूर हो जायेंगी, यदि हमने मूल्यों की वृद्धि को नहीं रोका। अनेक देश ऐसे हैं जिनमें बगावत बाजारों से आरम्भ हुई। हम अपने देश में यदि इस सम्भावना को, इस आशंका को, रोकना चाहते हैं तो मूल्यों को स्थिर करने के सम्बन्ध में कोई प्रभावकारी पग उठाना होगा, किन्तु इसके लिये आवश्यक है कि हम इस बात का विचार करें कि मूल्यों में वृद्धि क्यों हो रही है और इसके लिये सरकार कहां तक उत्तरदायी है।

मेरा निवेदन है कि जिस बड़ी मात्रा में हम पूंजी लगा रहे हैं विकास के लिये, रक्षा के लिये, उस अनुपात में हम माल का उत्पादन और सेवाओं में वृद्धि नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ रही है किन्तु उसके अनुसार बाजार में माल नहीं है। लेकिन इतना ही कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मूल्यों को कम करने के लिये उत्पादन का बढ़ना जरूरी है, यह ऐसी चीज है जिससे किसी का मतभेद नहीं हो सकता, किन्तु देखना यह होगा कि क्या सरकार की नीतियां मूल्य-वृद्धि में सहायक होती हैं? मैंने एक्साइज ड्यूटीज का हवाला दिया। मैं चाहता हूं कि इस बात पर भी विचार किया जाय कि माल को ढोने में रेलगाड़ी के द्वारा या सड़क परिवहन के द्वारा उसके किराये में जो वृद्धि हुई है उसका मूल्यों पर कहां तक असर पड़ा है। पैट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

है, डिजेल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है, सड़क परिवहन महंगा हुआ है, रेल मे माल-भाड़े की दर १२ फीसदी तक बढ़ गई है—ये नीतियां ऐसी हैं जो मूल्य वृद्धि में सहायक होती है और यदि शासन मूल्यों की बढ़ोतरी को रोकना चाहता है तो उसे तीसरी पंचवर्षीय योजना के जो बचे हुए दो साल हैं उनमे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे मूल्यों में वृद्धि हो।

मूल्य वृद्धि का सबसे बड़ा कारण खाद्य-मोर्चे पर हमारी विफलता है। उसके लिये कौन उत्तरदायी है इसका उत्तर दिया जाना चाहिये। हम मौसम को दोष देकर आर्थिक नियोजन की सफलता का ढिंढोरा नहीं पीट सकते। संकटकाल में संसद् अथवा केन्द्रीय सरकार किसी ऐसे विषय में व्यवस्था करने के लिये कानून बना सकते हैं जो कि संविधान के अनुसार राज्य की विषय-सूची में आता है किन्तु इस असाधारण अधिकार का कोई उपयोग नही किया गया। कच्चे माल की कीमतों मे भी वृद्धि हुई है जिसका परिणाम कुल मिला कर मूल्यो पर पड़ता है। देश में बिजली की कमी है, स्थानीय कच्चे माल की भी कमी है और विदेशी मुद्रा के संकट के कारण हम बाहर से भी पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल नही ला पाते—इसका भी कुछ उद्योगो पर असर हुआ है और मूल्य बढ़ा है। बढती हुई जनसंख्या भी मूल्य वृद्धि का एक कारण है क्योंकि खपत बढ़ रही है मगर उस अनुपात में उत्पादन की वृद्धि नहीं हो रही। यह भी देखना चाहिये कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के द्वारा अपनाई गई नीतियां कहां तक मूल्य वृद्धि का कारण हैं। जिस दर पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन मुनाफा कमा रहा है क्या उसका असर बाजार पर नही होता, बाजार की प्रवृत्तियो पर नही होता? सुपारी, कपूर, नारियल का तेल ये ऐसी चीजें हैं जिन पर स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के मुनाफे की दर का कोई हिसाब नही है। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन मुनाफा करे मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन उसका असर बाजार पर क्या होता है इसको ध्यान में रखना होगा।

सबसे बड़ी बात जो मूल्य-वृद्धि के सम्बन्ध में हमे याद रखनी होगी वह यह है कि आर्थिक नियोजन का जो हमने ढांचा स्वीकार किया है उसमें उपभोक्ता मालों के उत्पादन पर पर्याप्त बल नही दिया गया है—जिसे अंग्रेजी में कन्ज्यूमर गुडस कहते हैं उसकी हमने उपेक्षा की है और भारी उद्योगों पर अधिक बल दिया है। कम्युनिस्ट देशों का उदाहरण भी हमारे सामने है वे उपभोक्ता माल के उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिये इस बात को अनुभव कर रहे हैं। लेकिन एक लोकतंत्रवादी देश में जहा आर्थिक नियोजन की सफलता के लिये जन-सहयोग आवश्यक है, वहां हम कन्ज्यूमर गुड्स के उत्पादन की उपेक्षा करके नही चल सकते है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनसे पता चलता है कि जहां प्रोड्यूसर गुड्स के उत्पादन में १४ फी सदी की वृद्धि हुई है वहां कन्ज्यूमर गुड्स के उत्पादन में केवल २ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मैं समझता हूं, इस नीति को बदलने की आवश्यकता है। अगले सात सालों में हमें अपना ध्यान कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर और उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि पर देना चाहिये।

मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये कंट्रोल लगाने का सुझाव दिया जाता है। स्वयं वित्त मंत्री ने भी दूसरे सदन में कहा कि

सरकार को स्ट्रेटेजिक कन्ट्रोल्स लगाने पडेगे। मैं चाहूगा, वे इस बात को स्पष्ट करे कि स्ट्रेटेजिक कन्ट्रोल्स से उनका अभिप्राय क्या है ? यदि उनका अभिप्राय यह है कि फसल आने पर सरकार उचित दाम पर उस फसल को खरीदेगी, उसका भडार बनाएगी, और सकट काल मे उस माल को बाजार मे लाकर मूल्यो को बढ़ने से रोकेगी, तो किसी का मतभेद नही हो सकता। यदि उनका अभिप्राय यह है कि गावो मे किसान अपने माल को फसल के समय सुरक्षित रखकर कर्जा ले सके और अपनी इच्छानुसार उस माल को बाजार मे लाकर बेच सके तो यह भी अच्छा प्रबध है, होना चाहिये। लेकिन अगर नियत्रण लगाने का अर्थ है कि हम प्रोक्योरमेन्ट से लेकर डिस्ट्रिब्यूशन तक, खलिहान मे अनाज आने से लेकर उपभोक्ता तक उस अनाज को पहुचाने तक, नियत्रण की नीति को अपनायेगे तो मैं चेतावनी देना चाहता हू, कि ये नियत्रण सफल नही होगे। हमारे देश मे शासनतत्र जैसा है उससे हम अपरिचित नही है। लडाई के दिनो मे कन्ट्रोल के अनुभव अच्छे नही है, हमारा राष्ट्रीय चरित्र उस समय से बहुत अच्छा हो गया है, यह मानने का भी कारण नही है। अगर अनाज के व्यापार को सरकार ने पूरी तरह—थोक व्यापार भी, फुटकर व्यापार भी—जैसा कि अभिप्राय है, अपने हाथ मे ले लिया तो उसके अच्छे परिणाम नहीं होगे। हमे कोई ऐसा इलाज नही करना चाहिये जो बीमारी से भी ज्यादा खराब हो। मैं आशिक नियत्रण के खिलाफ नही हू, लेकिन जिस समाज मे, जिस ढाचे मे हमे काम करना है, उसकी क्षमता को, आखो से ओझल रखकर हम नही चल सकते।

मैं यह भी मानने के लिये तैयार नही हू कि एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था मे मूल्यो का बढना जरूरी है। अन्य देशो के उदाहरण हमारे सामने है, जिससे पता चलता है कि उन्होने विकास की गति भी बढाई है और मूल्यो को स्थिर रखने मे सफलता प्राप्त की है। इटली की बात कही जाती है कि यद्यपि वहा विकास की गति ८ फी सदी बढी है किन्तु मूल्यो मे गिरावट आई है। जापान मे भी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, बढी है किन्तु मूल्य वृद्धि २ फी सदी से ज्यादा नही है। अपने देश मे पहली पचवर्षीय योजना मे हमने देखा कि हमने विकास की गति बढ़ाई है मगर हमने मूल्यो को स्थिर रखा। इसलिये यह बात दिमाग मे निकाल देनी चाहिये कि हम विकासशील अर्थ-व्यवस्था मे लगे हैं इसलिये मूल्यो को स्थिर नही रख सकते। जो बाधाएं उत्पादन-वृद्धि के मार्ग मे आती है वे हटनी चाहिये। शहरो मे रहने वालो के लिये, विशेषकर जिन्हे महीने मे बधी बधाई तनख्वाह मिलती है, उन्हें बुनियादी वस्तुए उचित मूल्य पर मिल सके इसके लिये सरकार को प्रबन्ध करना चाहिये। यह देखना भी जरूरी है कि खेती में पैदा होने वाले माल की कीमत मे और कारखाने मे बनने वाले माल की कीमत में उचित अनुपात होना चाहिये। आज किसान जो पैदा करता है वह सस्ता बेचता है किन्तु किसान जो खरीदता है वह उतना सस्ता नही खरीदता। यदि मूल्य वृद्धि का लाभ किसान को मिलता तो इतनी आपत्ति नहीं होती, किन्तु आज मूल्य वृद्धि का लाभ बीच वाले उठाते है। उसका किस तरह से प्रबन्ध किया जाय, इसका विचार होना चाहिये।

महोदया, अपने बजट मे वित्त मत्री ने विदेशी पूजी को अधिक मात्रा में निमत्रण देने की बात कही है। आज हमारे देश के आर्थिक विकास की जो स्थिति है उसमे बिना विदेशी पूजी के हम नहीं चल सकते। लेकिन विदेशी पूजी बडी मात्रा मे देश मे आये इसके साथ जो खतरे

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

हैं उनको भी आंख से ओझल नहीं किया जाना चाहिये। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है कि हम जो विदेशी पूंजी देश में लाना चाहते हैं वह किन शर्तों पर लाना चाहते हैं? उद्योग धंधों में, कल-कारखानों में विदेशी पूंजी का हिस्सा अल्पमत में होगा, यह बात कल वित्त मंत्री ने कही। यह स्पष्टीकरण आवश्यक था, किन्तु माइनारिटी शेयर होते हुए भी कौन सी शर्तें लगाई गई है इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये। यह भी बताया जाय कि अगर पूंजी लगाने वाला अपनी पूंजी वापस लेना चाहता है तो किन शर्तों पर वापस ले सकेगा? यदि हमने राष्ट्रीयकरण का निर्णय किया तो किन शर्तों पर राष्ट्रीयकरण होगा? वैसे विदेशी पूंजी पर हमारे देश में जो मुनाफा हो रहा है वह अन्य देशों की तुलना में काफी है और अगर विदेशी पूंजी मुनाफे के लिए देश में आना चाहती है तो उसे पर्याप्त प्रोत्साहन है। अमरीका के कामर्स डिपार्टमेंट ने इस बात का जिक्र किया है कि भारत में जो अमरीकी पूजी लगी हुई है वह दुनियां के अन्य देशों मे लगी पूजी से अधिक मुनाफा कमाती है। हमारे मुनाफे की दर २०.६ प्रतिशत है, जबकि पश्चिमी योरूप में ११.५ प्रतिशत है, आस्ट्रेलिया में ७.१ प्रतिशत है, नार्थ अमरीका में ४.३ प्रतिशत है और हमारे पड़ौसी देश पाकिस्तान में ३.५ प्रतिशत है, फिर भी हमने निर्णय किया है कि हम विदेशी पूंजी को अधिक सुविधा देंगे। इसमें सावधानी की आवश्यकता है। योजना बनाते समय हम अगर योजनाओं के फारेन एक्सचेंज कन्टेन्ट को कम कर सकें और देश में जो साधन उपलब्ध है उन्हीं से प्रमुखतया आर्थिक विकास करें तो विदेशी पूंजी की इतनी बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं होगी।

वित्त मंत्री जी ने यह सुझाव दिया है कि देश में सम्पत्ति का जो केन्द्रीयकरण हुआ है और औद्योगिक क्षेत्र में जो मोनोपली बन रही है, उसकी जांच के लिए एक कमिशन कायम किया जाय। मुझे आश्चर्य है कि महलनोबिस रिपोर्ट को अभी तक प्रकाश में नहीं लाया गया, वह रिपोर्ट अभी खटाई में पड़ी हुई है, संसद् के सदस्यों ने उसकी झलक तक नहीं देखी और वित्त मंत्री जी ने नया कमिशन बनाने का ऐलान कर दिया। जब किसी मामले को टालना होता है तब कमिशन या कमेटी बनाई जाती है।

इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है कि देश में सम्पत्ति का, धन का एकत्रीकरण हुआ है। उसे कैसे रोका जाय, इसका भी उपाय छिपा नही है। प्रश्न यह है कि शासन क्या सचमुच में गम्भीरता से सम्पत्ति के उत्पादन के साधन को मुट्टी भर लोगों के हाथों में संचित होने से रोकना चाहता है? यदि शासन की इच्छा यह है कि इस चीज को रोका जाय तो किसी कमिशन को बनाने की आवश्यकता नहीं है।

महोदया, यह सरकार किस ढंग से काम करती है, इसका उदाहरण इस कमिशन की नियुक्ति के बारे में मिला। जिस दिन वित्त मंत्री जी ने संसद् में बजट पेश किया उसी दिन दूसरे सदन में प्रश्नोत्तरकाल मे उद्योग और वाणिज्य मंत्री जी से पूछा गया कि क्या मोनोपली को रोकने के लिये किसी कमिशन को बनाने पर सरकार विचार कर रही है? इस पर वाणिज्य मंत्री जी ने जवाब दिया कि सरकार कोई कमिशन बनाने पर विचार नहीं कर रही है। यह जवाब प्रश्नोत्तरकाल में दिया गया और शाम को ५ बजे वित्त मंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि सरकार कमिशन बनाने पर विचार कर रही है। जब यह आपत्ति की गई कि दो मंत्रियों के उत्तरों में इस प्रकार का अन्तर क्यों है तो वित्त मंत्री ने कहा कि बजट के प्रस्ताव मंत्रिमंडल के

सदस्यों स कितने गोपनीय रखे जाते हैं इनका यह उदाहरण है। कमिशन की नियुक्ति बजट प्रस्तावो के अन्तर्गत नही आती। किसी टैक्स को बढाने या कम करने का सवाल नही आता। यदि मोनोपली की जाच के लिये कमिशन नियुक्त किया जाना था तो मंत्रि-मडल के अन्य सदस्यों को विश्वास में लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बजट बनाते समय वित्त मत्री जी किसी से पूछते नही हैं और शायद मत्रिमडल के अन्य सदस्य भी उन्हे प्रभावित नही कर पाते ? सारी दुनिया हंस रही है, सारा देश आश्चर्य कर रहा है कि एक वित्त मत्री जो आते है वे एक्सपेन्डीचर टैक्स लगाते है और उस एक्सपेन्डीचर टैक्स की बड़ी तारीफ करते हैं दूसरे वित्त मंत्री जी आते है और वे अपने अनुभव से एक्सपेन्डीचर टैक्स को खत्म कर देते है। किन्तु एक्सपेन्डीचर टैक्स लगाने वाले वित्त मत्री जी पुनः आते है। तो फिर टैक्स लगा दिया जाता है। एक्सपेन्डीचर टैक्स पहले क्यों लगाया गया और फिर क्यों खत्म किया गया और अब फिर क्यो लगाया जा रहा है। क्या यह शासन की आर्थिक सूझबूझ, समझदारी और दूरदर्शिता का परिणाम है ? क्या वित्त मत्री जी स्वतन्त्र है कि किसी भी टैक्स को लगाए और किसी को हटा दें ? क्या कुल मिलाकर सरकार इस बात पर विचार नही करती ? अनुभव ने यह बतलाया है कि एक्सपेडीचर टैक्स मे जितनी आमदनी की आशा की जा सकती थी उतनी आमदनी नही हुई, इसलिए एक्सपेंडीचर टैक्स को हटा दिया गया और अब फिर एक्सपेडीचर टैक्स लगाया जा रहा है। श्री मोरारजी भाई ने जो कुछ किया था उसका शीर्षासन हो रहा है और वित्त मत्री जी ने इसका भार अपने ऊपर ले लिया है। मुझे लगता है कि श्री मोरारजी भाई ने जो बोया था उसको श्री टी० टी० कृष्णमाचारी जो काट रहे हैं और उनका काटा हुआ कौन खाएगा, यह आने वाला कल बतलाएगा।

गत वर्ष आवश्यकता से अधिक टैक्स लगाए गए थे उनके कारण जनता मे परेशानी बढ़ी और शासन को अलोकप्रियता मे वृद्धि हुई और आज वित्त मंत्री जी को इन टैक्सों से पर्याप्त होने वाली आमदनी के आधार पर आगे बढ़ना सरल हो गया। जब एक्स-पेंडीचर टैक्स लगाया गया था तब मैंने उसका समर्थन किया था और वह भी इस आधार पर हम अपने देश में किसी व्यक्ति को अनाप शनाप खर्च करने की छूट नही दे सकते हैं क्योंकि कोई अगर अनाप शनाप खर्च करेगा तो बचत का वातावरण बिगड़ेगा और देश में सादगी तथा सरल जीवन बिताने की जो आवश्यकता है उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दिखाई देता है कि एक्सपेडीचर टैक्स से जो आमदनी होने वाली थी वह नगण्य थी और शायद उतना रुपया उस टैक्स को वसूल करने मे ही खर्च हो गया और इस कारण इस कर को समाप्त कर दिया गया। आज वही कर फिर लगाया जा रहा है। महोदया, आज स्थिति यह है कि अगर कोई रुपया कमाये तो उसे इनकम टैक्स देना होता है, अगर रुपया जोड़े तो उसे वैल्थ टैक्स देना होता है, अगर रुपया खर्च करे तो उसे एक्सपेडीचर टैक्स देना होता है, अगर रुपया दान करे तो उसे गिफ्ट टैक्स देना होता है, अगर बिना दान किए ही मर जाए तो इस्टेट ड्यूटी टैक्स देना होता है। हमारे सदन मे एक सदस्य है जिनका नाम है श्री करमरकर। मुझे उनका नाम बहुत पसन्द है। अगर व गलत न समझे तो मैं उनके नाम की इस तरह से व्याख्या करके बताऊं कि सरकार कर लगाती है और आप मर जाइये फिर भी वह कर लगाती है। यह "करमरकर" में "कर" तो समझ मे आता है, मगर "मर" समझ मे नही आता है। मैं उन लोगो पर टैक्स लगाने के खिलाफ नही हू जो टैक्स देने की स्थिति में हैं उन पर टैक्स लगाना चाहिये, लेकिन यह सरकार इस सबध में अपना दिमाग बिलकुल साफ कर ले कि क्या विकास की गति को बढ़ाना और भुवनेश्वर

[श्री ए० बी० वाजपेयी]
के प्रस्ताव के अनुसार समाजवाद को लाना ये कहीं परस्पर विरोधी काम तो नहीं है। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री की कठिनाइयां इसलिए बढ़ जाती है कि वे इन दोनों चीजों को मिलाना चाहते हैं। विकास की गति अगर बढ़ानी है तो हमें ज्यादा रुपया इनवेस्ट करना होगा और अगर ज्यादा रुपया इनवेस्ट करना हो तो ज्यादा रुपया सेव करना होगा, बचत करनी होगी, लेकिन अगर सरकार टैक्सों में या एक्साइज ड्यूटी में वृद्धि करके सारी बचत खुद ही इकट्ठा कर लेगी तो फिर आर्थिक विकास की गति कैसे बढ़ाई जा सकती है।

महोदया, वित्त मंत्री के बजट में एक बड़ी गम्भीर बात है और वह यह है कि राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है गत वर्ष भी मैंने बजट पर भाषण करते हुए कहा था कि कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ रही है। संविधान ने केन्द्र सरकार को इस बात का अधिकार दिया है कि उन राज्यों में फाइनेशियल इमर्जेन्सी की घोषणा करके और वहां की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये सरकार प्रयत्न करे। किन्तु शायद इसलिये कि सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें काम कर रही हैं, केन्द्र ने राज्यों को सीधी राह पर लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया। परिणाम यह हो रहा है कि राज्यों पर केन्द्र का कर्जा बढ़ता जा रहा है। अभी तक कुल मिला कर राज्यों पर ३६ सौ करोड़ रुपया कर्ज की रकम है। इस रकम को वापस करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। यदि रकम वापस करने की मांग की जाती है तो राज्य सरकारें रकम को वापस करने के लिये नया कर्ज मांगती हैं। वे कर्जा ले करके कर्जा पाटना चाहती हैं और केन्द्र की कर्जा देने की क्षमता अमर्यादित नहीं है। हम कब तक राज्यों को कर्जा देते रहेंगे और कब तक उस कर्जे को पूरा करने के लिये विदेशों में कर्जा लेते रहेंगे। हम विदेशों से कर्जा लेते है और राज्य सरकारें हम से कर्जा लेती है। "ऋण कृत्वा घृतं पिबेत", यह पुरानी कहावत है कि कर्जा लेकर घी पिओ। मगर यहां घी पीने की तो कोई संभावना नहीं है। कर्जा लेकर घाटा करो, कर्जा लेकर टैक्स बढ़ाओ, अपव्यय करो, यह स्थिति हमें दिखाई देती है। केन्द्र सरकार को राज्यों की इस आर्थिक स्थिति की ओर गम्भीरता से देखना चाहिये। अगर कोई राज्य सरकार अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है और कर्जे को घटाने के लिये तैयार नहीं है और जो नियोजन के लिये दिया जाता है उसे ऐसे कामों पर खर्च करती है जिसका नियोजन से दूर का भी संबंध नहीं है, तो ऐसे राज्य को ऋण देना बन्द करना चाहिए और जो ऋण दिया गया है उसकी कठोरता से वसूली करनी चाहिये। आवश्यक हो तो संविधान का सहारा ले करके ऐसे राज्य में फाइनेशियल इमर्जेन्सी घोषित करनी चाहिये। आज राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। इसलिए अगर केन्द्र हस्तक्षेप नहीं करेगा तो जब भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न दलों की सरकारें होंगी तब भी केन्द्र के लिये हस्तक्षेप करना संभव नहीं होगा। इसलिये हस्तक्षेप की परम्परा आज से ही डालनी चाहिये और मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री राज्यों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के संबंध में जरूर कोई कठोर कदम उठायेंगे।

मैं वित्त मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि जो सरकारी कलकारखाने चल रहे हैं, उनमें मुनाफा होना चाहिये, लेकिन सरकारी कल-कारखाने मुनाफा दे नहीं रहे हैं। जिस अनुपात में पूंजी लगी है उस अनुपात में मुनाफा नहीं हो रहा है। सन् १९६२-६३ में, १.३ करोड़ मुनाफा हुआ था। सन्, १९६३-६४ में २.३२ करोड़ मुनाफा हुआ। इनवेस्टमेंट है हमारा ८०६.४७ करोड़ रुपया शेयर कैपिटल में और उस पर जो रिटर्न हुआ है वह ०.२५ पर सेंट है। जो एक्सप्लेनेटरी मेमोरैंडम दिया गया है

उससे पता लगता है कि सरकार कलकारखाने, जिनको पब्लिक प्रोजेक्ट्स कहा जाता है, अभी सफलता के साथ नहीं चल रहे हैं। लेकिन मुनाफा होना चाहिये, यह कहने के बाद हम इन कलकारखानों में बनने वाले माल के मूल्यों का निर्धारण इस प्रकार न करें कि जिसका बोझा आम आदमी पर ज्यादा पड़े। सरकारी कलकारखानों में जो माल बनता है उसकी कीमतें निर्धारित करने के पीछे सिद्धांत क्या है, उपभोक्ता को वह माल किस दर पर मिलना चाहिये, सरकारी कलकारखानों में कितना मुनाफा होना चाहिये, किस दर पर होना चाहिये, यह अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। मैंने स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का हवाला दिया। वह ४०० फीसदी तक मुनाफा कमा रहा है। यदि इन कलकारखानों के माल की कीमत निर्धारित करते समय एलिमेंट आफ टैक्सेशन, कर के तत्व, आयेंगे तो वह मुनाफा वास्तविक मुनाफा नहीं होगा। मुनाफा होना चाहिये इन कलकारखानों को अच्छी तरह से चलाने में। लेकिन कलकारखाने अच्छी तरह से नहीं चल रहे हैं, इस सम्बन्ध में कोई दो रायें नहीं हो सकतीं। ब्यूरोक्रेटिक मिसमैनेजमेंट की आलोचना, जो जापान के विशेषज्ञ आये थे उन्होंने भी की है। उनका आरोप है कि आयरन ओर का हमारा व्यापार कम हो गया है क्योंकि हिन्दुस्तान में नौकरशाही के तरीके से प्रबन्ध होता है, संचालन होता है। अभी नेशनल डेवलपमेंट कारपोरेशन के सम्बन्ध में एस्टीमेट्स कमेटी ने जो रिपोर्ट रखी है वह बड़ी गंभीर है। उस में बताया गया है कि किस प्रकार दो साल में १.९० करोड़ रुपया मरम्मत में और प्लांट

I P.M.

को चलाने में खर्च किया गया। पब्लिक एकाउंट्स कमेटी ने अपनी १९वीं रिपोर्ट में टी-बोर्ड की एक इमारत के सम्बन्ध में लिखा है। टी-बोर्ड ने ३९.३६ लाख रुपया खर्च करके एक इमारत बनाई, पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का कहना है कि इमारत बनाने पर इतना रुपया खर्च नहीं होना चाहिये था, टी-बोर्ड के लिये इतनी बड़ी इमारत की आवश्यकता नहीं है, किन्तु फिर भी इमारत बनाई गई। रूरकेला स्टील प्लाट की कहानी हम सभी जानते हैं, जहां तालाबंदी के कारण सरकार को—दूसरे शब्दों में कहना चाहिये कि जनता को—७६ लाख रुपये का घाटा हुआ था क्योंकि संचालक विशेष काम करने वाले मजदूरों को अधिक भत्ता देने के लिये तैयार नहीं थे। मैसूर की एक साइकिल फैक्ट्री का भी उदाहरण दिया जाता है जिस के बारे में कहा जाता है कि ढाई साल में केवल १८ साइकिलें बनीं। यह फैक्ट्री एक सरकारी फैक्ट्री है और हर एक साइकिल का मूल्य १६ हजार रुपये आया।

श्री बैरागी द्विवेदी (उड़ीसा) : एक साइकिल का ?

श्री ए० बी० बाजपेयी : क्योंकि ढाई साल में केवल १८ साइकिलें बनीं। कारखाने को चलाने पर, वेतन पर, भत्ते पर . . .

श्री बैरागी द्विवेदी: उसे खरीदता कौन है ?

श्री ए० बी० बाजपेयी : वे प्रदर्शनी में रखने के काम आती हैं।

मेरा निवेदन है कि जो भी कल-कारखाने सरकार चला रही है उनको वह अच्छी तरह से चला कर दिखाये। पब्लिक प्रोजेक्ट्स, पब्लिक सेक्टर का विस्तार होने के बजाय दृढ़ीकरण होना चाहिये। जो राष्ट्रीयकरण की मांग करते हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकरण और समाजवाद पर्यायवाची शब्द हैं। कल वित्त मंत्री ने कहा कि विरोधी दल का कोई सदस्य भुवनेश्वर के प्रस्ताव की चर्चा न करे और वित्त मंत्री ने कांग्रेस के सदस्यों से भी कहा कि बजट के खिलाफ अगर

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

बोलना है तो पार्टी मीटिंग में बोलें, सदन में मुंह खोलने की जरूरत नहीं है । मैं नहीं समझता कि वह सदन के सदस्यों से इस प्रकार कह सकते हैं––लेकिन इस पर आपत्ति करना कांग्रेस वालों का काम है मेरा नहीं, यद्यपि सदन के एक सदस्य के नाते मैं इस प्रकार के किसी भी बंधन को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं ।

श्री सी० डी० पांडे : कोई बन्धन नहीं है ।

श्री ए० बी० वाजपेयी : कांग्रेस के प्रतिनिधि भी जनता के प्रतिनिधि है, उनकी वाणी से भी जन-भावना का प्रकटीकरण होना चाहिये, वह पार्टी में जो कह सकते हैं कहें लेकिन अगर पार्टी सदन का स्थान लेने वाली है तो फिर लोकतंत्र का भविष्य अन्धकारमय है । वित्त मंत्री का यह कहना भी ठीक नहीं है कि वह विरोधी-दलों की औषधि को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि विरोधी-दल तो उनको खत्म करना चाहते है––हम किसी को खत्म करना नहीं चाहते है, हम उन्हें सुधारना चाहते है, हम उन्हे बदलना चाहते है । लेकिन अगर सत्तारूढ़-दल के बीच में और विरोधी-दलों के बीच में कोई सामान्य आधार नहीं है तो फिर राष्ट्र के निर्माण में सबका सहयोग लेने की बात कोई अर्थ नहीं रखती है ।

महोदया, भुवनेश्वर के प्रस्ताव की कसौटी पर मैं बजट को कसना नहीं चाहता क्योंकि भुवनेश्वर का प्रस्ताव राजनीतिक कारणों से पारित किया गया है और वित्त मंत्री को यथार्थता की भूमि पर पैर रख कर चलना होगा । समाजवाद मेरे लिये जीवन का पूर्ण दर्शन नहीं है क्योंकि मैं मनुष्य को अर्थ का दास नहीं मानता, मैं मनुष्य को काम का कीड़ा भी नहीं मानता, मनुष्य की भौतिक आवश्यकतायें पूर्ण होनी चाहियें किन्तु कुछ नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी है जिनकी रक्षा आवश्यक है और समाजवाद उन नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विचार करके नहीं चलता है । लेकिन मैं पूछता हूं कि आपके समाजवाद के पीछे कौनसा जीवन-दर्शन है ? अगर कम्युनिस्ट समाजवाद की बात करते है तो मैं समझता हूं कि उसके पीछे एक मार्क्सिस्ट फिलासफी है, उसके पीछे जीवन का एक भौतिकवादी दृष्टिकोण है लेकिन अगर हम भौतिकवाद को पूरी तरह से स्वीकार *करने के लिये तैयार नहीं हैं तो* हमारे समाजवाद के पीछे कौनसा-जीवन-दर्शन है ? क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पब्लिक सेक्टर को बढ़ाते जाना, अधिक से अधिक वस्तुओं का सरकार के नियंत्रण मे लाना––यही समाजवाद है ? क्या कुछ कार्यक्रमों का इकट्ठा स्वरूप समाजवाद है ? इसे मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । आवश्यकता होने पर कोई काम सरकार हाथ में ले सकती है, आवश्यकता नहीं हो तो उसे नहीं लेना चाहिये । लेकिन कुछ कार्यक्रमों का इकट्ठा रूप समाजवाद नहीं हो सकता । उसके पीछे एक जीवन-दर्शन खड़ा करना होगा––सरकार यह नहीं कर सकी है, कांग्रेस पार्टी भी यह नहीं कर सकी है । इसलिये मैंने निवेदन किया कि वित्त मंत्री का काम कठिन है––वह विकास की गति भी बढाना चाहते है और विषमता भी कम करना चाहते है, वह मानोपलीज की जांच के लिये कमिशन भी बनाना चाहते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि जिस परिस्थिति में हम आज है उसमें यदि विकास की गति बढ़ाना है तो कुछ न कुछ मानोपलीज होंगी, फिर वह यह भी कहते हैं कि मानोपलीज का स्वरूप बदल रहा है, कंट्रोल अलग है, मैनेजमेंट अलग है, और शेयरहोल्डर्स बढ रहे है । मुझे लगता है कि हमारे वित्त मंत्री टाइट-रोप-डासिंग कर रहे है और इसीलिये बजट ऐसा बना कि जो सबको संतुष्ट नहीं कर सका या मैं

कहूं कि किसी को भी संतुष्ट नही कर सके--पूजीपति इसलिये असंतुष्ट है कि उनसे ११ करोड़ रुपये अधिक वसूल किया जायगा जबकि शिकायत की जा रही है कि पूजीपतियों को सुविधायें दी गई है। आम आदमी इसलिये असंतुष्ट है कि उसे कोई राहत नही मिली जब कि यह भी सच है कि उस पर कोई अधिक कर नहीं लगाया गया है। तो मेरा निवेदन है कि यदि शासन अपने विचारों मे स्पष्टता लाये और बिना राजनैतिक तथा आर्थिक दबाव के वास्तविकता के आधार पर अपनी नीतियां निर्धारित करे तो देश की आर्थिक समस्यायें हल की जा सकती है।

बजट में सरकारी खर्चे में कमी करने के कोई ठोस उपाय नही सुझाये गये। एस्टीमेट्स कमेटी, पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की रिपोर्टस हमारे सामने है जिनमें कहा गया है कि यदि दृढ़ता से प्रयत्न किया जाय तो सरकारी खर्चे में १०० करोड़ रुपये की बचत हो सकती है लेकिन इन कमेटीज की सिफारिशों को अमल में नहीं लाया गया और जो सुझाव दिये गये थे उनको क्रियान्वित नही किया गया। सिविल एक्सपेंडीचर बढ़ता जा रहा है, टैक्स लगाया जाता है योजना के नाम पर किन्तु क्या उन टैक्सों से होने वाली आमदनी योजना के कामों पर खर्च की जाती है ?

THE DEPUTY CHAIRMAN: How much more time would you take? You have taken one hour.

SHRI A. B. VAJPAYEE: Five minutes more, Madam. Have I completed one hour?

THE DEPUTY CHAIRMAN: Yes, you can take five minutes more.

श्री ए० बी० वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि सरकारी खर्चों म कमी करने की काफी गुंजाइश है, लेकिन इस सम्बन्ध में शासन कोई कदम नही उठा सका है।

अन्त में मै एक विषय की चर्चा करना चाहता हूं और वह है भ्रष्टाचार। हम अगर देश में राजनैतिक और सामाजिक अनुशासन पैदा करना चाहते है तो उसके लिये भ्रष्टाचार का निराकरण आवश्यक है लेकिन कुछ मामले ऐसे है जिन्होंने यह आशंका पैदा की है कि क्या सचमुच में सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। मंत्रियों का, पूजीपतियों का गठबंधन यह बड़ी खतरनाक स्थिति में पहुंच रहा है। जो तथ्य प्रकाश में नही आये है मै उनकी चर्चा नही करूगा। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि सिराजुद्दीन कांड की अदालती जाच के लिए अभी तक कमिशन क्यों नहीं कायम किया गया है ? उन्होंने किसी मंत्री को कितना रुपया दिया इसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहता लेकिन ऐसा लगता है कि सिराजुद्दीन का जाल काफी फैला हुआ है जिसमें केन्द्र के ही नहीं राज्य के ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग शामिल हैं। आवश्यकता इस बात की है कि एक कमिशन नियुक्त किया जाय जो सारे मामले की जांच करे, जिससे जनता का संदेह दूर हो। यहीं दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की नाक के नीचे जो गुड़ का घोटाला हुआ है उसका अभी तक बुरा स्वाद हम लोगों के मुह में बाकी है। दिल्ली की पुलिस, जो उस कोआपरेटिव के संचालक हैं, संसद के सदस्य हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करना चाहती है मगर ला मिनिस्टरी ने, विधि मंत्रालय ने, उसमें कुछ रोड़े अटकाये हैं। मैं नहीं जानता विधि मंत्रालय कहां तसवीर में आता है ? कोई इससे इंकार नहीं कर सकता है कि गुड़ का घोटाला हुआ है और गृह मंत्री सदन में घोषणा करते हैं कि बड़े से बड़े व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी लेकिन जब कार्यवाही करने का मौका आया तो केन्द्रीय सरकार झिझक रही है, संकोच कर रही है--यह तरीका नहीं है भ्रष्टाचार को मिटाने का, यह तरीका नहीं है जनता में इस बात का विश्वास पैदा करने

[श्री ए० बी० वाजपेयी]

का कि शासन सचमुच में भ्रष्टाचार को मिटाना चाहता है। विरोधी दल भ्रष्टाचार का निराकरण करने में अपना सहयोग देने के लिये तैयार है। लेकिन पहले सरकार को यह साबित करना होगा कि वह राजनैतिक कारणों से किसी भी भ्रष्टाचार पर, किसी भी भ्रष्टाचारी पर पर्दा नहीं डालेगी। पंजाब के मुख्य मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, दिल्ली में चौधरी ब्रह्मप्रकाश के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, सिराजुद्दीन कांड में अदालती जांच कायम नहीं हुई। ये ऐसी घटनाएं हैं जो यह नहीं बतातीं कि सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये, राजनैतिक कारणों से भी ऊपर उठने के लिये तैयार है।

महोदया, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि वित्त मंत्री महोदय अपने कर प्रस्तावों में जनता की भावनाओं के अनुरूप संशोधन करेंगे और आम आदमी को कुछ ठोस सुविधा या रियायत देने का प्रबंध करेंगे। धन्यवाद।

SHRI S. C. KARAYALAR (Madras): Madam Deputy Chairman, I rise to give my general support to the Budget proposals. The Budget proposals have been formulated with certain broad objectives in mind. They are intended to infuse confidence in the capital market, to afford incentives for the development of certain basic industries, to promote savings and also to give incentives for foreign investments. These are the general broad objectives. The socialist pattern of society, which is our aim, is also kept in mind in framing these proposals.

Before I proceed to examine the Budget proposals, I wish to make certain observations on the basis of what Prof. Kaldor has said in his report on tax reform in India. He presented a report which contains an integrated scheme. Broadly speaking, he recommended that the tax basis should be widened so that other forms of taxes such as Expenditure-tax, Gift-tax, Wealth-tax and all that should also be included in the scheme of personal direct taxation besides the income-tax scheme which was in force prior to this report. One of the main proposals in his scheme was that the taxation structure, as it was in force, was productive of a large scale of evasion of tax, and in order to eliminate that process he produced an integrated scheme for the purpose of taxing all sources of income besides the ordinary income from business and profits. And as a part of the integrated scheme he proposed that the marginal rate of tax should be reduced from 70-75 percent. to 40-45 per cent. That is one of the cardinal features of the scheme. But somehow the structure of taxation which has been adopted since then has failed to take note of this cardinal fact and its theory, with the result that we are following the old traditional system of taxation of income with high rates of taxation and all that. This is what Prof. Kaldar had to say on this question of evasion:

> "From every point of view it is far better to have a foolproof system of taxation with a moderate rate schedule than a system which has the appearance of high progressivity but which cannot be effectively administered.
>
> India has been in the grip of a vicious circle so far as progressive taxation is concerned which has led to higher and higher nominal rates of taxation, and this in turn to further evasion and still higher rates It is a vicious circle of charging more and more on less and less. The prime requirement is to break that vicious circle. The adoption of a comprehensive taxation would impose fewer strains on the social fabric and on the administration of the tax system if it were introduced with a moderate schedule."

This is what he has got to say. The main point which he had emphasised is that the high marginal rate of taxation ought to go and it should be brought down to about 45 per cent. If that had been accepted along with the structure of taxation which he recommended, there would have been no case for evasion. That is what he has emphasised. Somehow or other the other features of the scheme which he proposed have been adopted without this particular feature and there is no justification for splitting up the integrated system into parts and only taking whatever suited the purpose of the Government.

Now, having said that, Madam, I wish to examine some of the Budget proposals in detail. The cumulative effect of all the Budget proposals is that the corporate sector is getting some relief. But at the same time the private individual taxation has been stepped up. One of the main features of these Budget proposals is the introduction of what is called, the Annuity Scheme. I am rather intrigued by the features of this Annuity Deposit Scheme. I cannot possibly understand whether the annuity deposits are really taxes levied or they are capital advanced to the Government. In one sense it is treated as capital because it is refundable later from the next year. In another sense it is treated as a tax. I cannot really understand the nature of this Annuity Scheme. I would like to have a clarification from the Ministry regarding the nature of this.

Then another difficulty which arises with regard to the annuity deposit scheme is this. When annuity deposits are paid by the assessees, the Government has got to keep accounts in the case of all these assessees, not for one year but for ten years and more, indefinitely because every year the assessee has to make a deposit and this deposit will be carried over from year to year for 10 years before it is completely eliminated. That means the Govenment will have to keep accounts for all the assessees getting an income of over Rs. 15,000. This is administrative difficult, if not impossible. This aspect has to be seriously considered, lest it should lead to all kinds of difficulties in the case of these people who have to keep the accounts. Correspondingly the assessees also will have to keep accounts and keep track of what is being paid and what deductions have been made, etc.

Next, I come to the capital gains-tax. There is provision made in the Finance Bill for the levy of different rates of capital gains-tax. In the case of lands and buildings it is 75 per cent. of the average rate and in the case of other capital gains it is 50 per cent. I cannot understand why there should be some kind of discrimination between the capital gains of one nature and capital gains of another nature

Another point is with regard to the capital gains-tax in the case of bonus shares. According to the new scheme, bonus shares, when they are issued, are immediately treated as capital accretion in the hands of the assessees. I cannot understand how and by what process it becomes a capital accretion immediately it is issued by the company concerned. As a matter of fact, in some cases, it may result in a loss because when you take into account the total gain of the equity shares held, and the bonus shares it may probably be less than the capital invested. So it is very unfair to treat the bonus shares as capital gains immediately they are issued to an assessee.

Then the expenditure-tax is proposed to be reintroduced. The Expenditure-tax was abolished last year or the year before last because of various reasons. In the first place it did not serve the purpose it was intended to serve, namely, to impose a restraint on consumption but it was found later on by investigation that it did not act as a restraint on consumption and then the proceeds of the tax were very poor and were not adequate or

[Shri S. C. Karayalar.]
commensurate with that trouble taken to collect. Therefore it was abolished. Now there is not sufficient or valid argument advanced this time for the reintroduction of the tax.

With regard to the Estate-duty, there has been a steep increase in the rate of duty. The repercussions of the steep increase have not been properly assessed. The high rate of duty running up to 85 per cent. is really not a tax but it is more in the nature of confiscation. Nobody can say that levy of 85 per cent. of the wealth of a certain person will amount to a tax. A tax can only be a small percentage of wealth or income but when it is stepped up to 85 per cent., it smacks of being confiscatory. Then the repercussions of such a high rate of Estate-duty will be that capital formation will be affected. People will not have a tendency to save and the savings will be affected. These long-term effects have to be assessed properly in the proper perspective before the rates are finalised.

Now, I want to refer to the provision in the new Finance Bill regarding the concealment of income. It says:

> "It is proposed to provide that where the income declared by an assessee in the return furnished by him is less than 90 per cent. of the assessed income, the assessee shall be deemed to have concealed his income or furnished inaccurate particulars thereof and be liable to penalty according unless the produces proof to establish his bona fides in the matter."

This is a very dangerous provision which will lead to public relations being completely injured apart from all other aspects of the matter. Take the case of an assessee who makes a return and he claims certain items of expenditure as incurred solely for the purpose of running his business and the assessing officer or the income-tax authority comes to a different judgment. It is a case of substituting one judgment for another, one individual judgment for the judgment of another person. This difference in judgment alone may account for a difference of over 10 per cent. Then it is possible that in the case of certain businesses the Income-tax Officer may consider a certain item of expenditure as capital expenditure and the assessee or the company concerned might treat it as a revenue expenditure. So in marginal cases it will not be possible to exactly say whether a certain item of expenditure is capital or revenue expenditure. Such difference of opinion between the Income-tax Officer and the assessee concerned is likely to be reflected in a percentage exceeding 10 per cent. in the return. Such difference in judgment alone cannot be made the basis for any kind of penalty being imposed. This is a very serious matter which should receive the consideration of the Government.

Shri K. Santhanam referred to the formulation of a comprehensive social security scheme for all sections of the people. I would point out that the standard of living in the case of certain sections of the people is so low that they require a social security scheme. The average per capita income of a factory worker is about Rs. 1,400. The average per capita income of other non-factory worker is deplorably low, although we have no statistics to establish that but we can visualise what the average per capita income of these non-factory workers will be. They, I believe, are the weakest section of the community and they require a scheme of social security much more. So the weakest section of the community must be provided for.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Will you take long?

SHRI S. C. KARAYALAR: No, I have finished, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is 1-30. The House stands adjourned till 2-30.

The House then adjourned for lunch at thirty minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, the Vice-Chairman (SHRI M. P. BHARGAVA) in the Chair.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2 BILL, 1964

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

> "In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1964, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 10th March, 1964.
>
> The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

THE BUDGET (GENERAL), 1964-65 —*continued*.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Shri G. Murahari.

श्री गोडे मुराहरि (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, जब हम इस साल के बजट को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यह बजट एक बेसवाद सा बजट है, इनसिपिड बजट जिसको कहते हैं । पहले जो करों का एक ढांचा हमारे देश में खड़ा किया गया है, पिछले बजटों में जो ढांचा कायम किया गया है उसी की पूर्ति करना हमारे वित्त मंत्री का उद्देश्य [illegible] लगता है । लेकिन बजट का जब हम प्रतिपादन करते हैं तो जिस दृष्टिकोण को आगे रख कर हम उसका प्रतिपादन करते हैं वह असलियत हमारे सामने लाता है । मेरा यह कहना है कि जो भी बजट हमारे सामने आये हैं सब में एक ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामने रखा है । हिन्दुस्तान की जो वर्तमान परिस्थिति है, पूंजी की और अर्थ व्यवस्था की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको कायम रखना, इसी दृष्टिकोण से आज तक सभी बजट इस देश में बनाये गये हैं । इसलिये जब इस बजट के बारे में हम सोचते हैं तो सर्वप्रथम यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि इस बजट का उद्देश्य क्या है । इस बजट का उद्देश्य तो ऐसा दिखाई देता है कि हमारी जनता जो अधिकांश हमारे देश में बसती है, जिनकी आमदनी बहुत कम है, उनको नज़र में रखे बिना बजट बनाया जाता है । बजट का सारा उद्देश्य यह लगता है कि कैपिटल फार्मेशन कैसे हो, पूंजी कैसे बढ़े, पूंजी को कैसे प्रोत्साहन दिया जाये, लेकिन साथ साथ मनुष्य का भी कुछ मूल्य होता है । मनुष्य के मूल्य को सामने रख करके बजट बनाया जाना चाहिये । लेकिन सारे जितने भी बजट हमारे देश में अभी तक बने हैं, वे पूंजी का मूल्य देख करके बनाये गये हैं, पूंजी को सामने रखकर बनाये गये हैं । तो इस बजट के बारे में ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि इस बजट में वही पुरानी चीज़ें जो हैं उन्हीं को फिर लागू किया गया है ।

वित्त मंत्री साहब को जो टैक्स प्रिय हैं उनको वे फिर वापस लाये हैं । कुछ चीजों को उन्होंने खत्म ज़रूर किया है जैसे कम्पलसरी डिपाज़िट है । लेकिन उसका भूत अभी तक हमारे ऊपर सवार है और आगे पांच साल तक सवार रहेगा । जिस दिन उन्होंने बजट पेश किया उसके दूसरे ही दिन फाइनेंस मिनिस्ट्री का क्लियरिफिकेशन आया कि इस साल में जो जमा करना है वह जमा होगा